

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल०-69/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० नेहा भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.02.2025 से 30.07.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-69/2025-

पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/जिता कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० नेहा भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव